COA

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीकानेर–334006

Tel 2250292 (O) 2250549 FAX: 0151-2250292

Web: agricolbikaner.org. Mail-coaraubikaner@yahoo.co.in.coaraubikaner@gmail.com

क्रमांक/लेखा शाखा/फार्म नीलामी/2026/ 193 दिनांक 07.05.2026

निविदा सूचना 01/2026-27

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल, बीकानेर के कृषि फार्म (जैसे है जहाँ है) की स्थिति में वर्ष 2026-27 (खरीफ 2026 व रबी 2026-27) के लिए फसलों की खेती हेतु सीलबंद/मोहरबंद निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र पर आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कार्यालय से रुपये 500/-जमा करवाकर किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 07/05/2026 से 21/05/2026 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति/निविदादाता अपनी दरें निर्धारित फार्म में भरकर मय धरोहर राशि की डी.डी.के साथ अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीछवाल, बीकानेर के कार्यालय में दिनांक 22/05/2026 को सभी दस्तावेजों की पूर्ति सहित निविदा सीलबंद लिफाफे में दोपहर 01:00 बजे तक जमा करवा सकते है। प्राप्त निविदाए उसी दिन दोपहर बाद 2:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जायेगी। निविदा राशि न्यूनतम राशि से कम पाये जाने पर उसी दिन खुली बोली भी करवाई जा सकती है। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क.स.	फार्म	कुल भूमि (हैक्टेयर)	कमाण्ड भूमि (हैक्टेयर)	न्यूनतम निविदा राशि (रू)	धरोहर राशि (रू)	निविदा फार्म शुल्क (रू)
1.	बीज उत्पादन फार्म, कृषि महाविद्यालय बीछवाल–बीकानेर	10.0	10.0	400000.00	60000.00	500.00

(विजय प्रकाश)
अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

ठेका आधारित खेती निविदा –प्रपत्र

निविदादाता/ठेकेदार का नाम (फोटो पहचान प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे)	
निविदादाता/ठेकेदार का पता (निवास प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि लगावे)	
धरोहर राशि डी.डी. न0 /बैंक का नाम व शाखा	
निविदा फार्म शुल्क रसीद संख्या/दिनांक	
कार्य का विवरण	10.0 हेक्टर सिंचित (स्प्रिंकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहां है) की ठेका आधारित खेती

क्रं.स.	खेती का स्थान	कार्य का विवरण	धरोहर राशि	डी. डी. न. बैंक का नाम व शाखा	निविदादाता द्वारा दी गई कास्त की दर 2026–27 (रुपये)
1.	कृषि महाविद्यालय, बीछवाल, बीकानेर	10.0 हेक्टर सिंचित (स्प्रिंकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहां है) की ठेका आधारित प्रति हैक्टर की दर पर खेती	60000 रु. का डिमांड ड्राफ्ट Dean, College of Agriculture, Bikaner के नाम		

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पता..........................

मोबाइल नं..................

कृषि महाविद्यालय, बीकानेर,
(स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय)
बीछवाल–बीकानेर

कार्य का विवरण एवम शर्ते

1. कृषि महाविद्यालय, बीकानेर की 10.0 हेक्टर सिंचित (स्प्रिंकलर पद्धति) कृषि भूमि (जैसी है जहां है) की ठेका आधारित खेती हेतु खरीफ 2026 से रबी 2026–27 (15.05.2027 तक) के लिए देय है। इस प्रक्षेत्र में पानी संग्रह हेतु डिग्गी है तथा यह प्रक्षेत्र तारबन्दी द्वारा पूर्णतया सुरक्षित है।
2. निविदा कृषि महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अन्तिम तिथि **22.05.2026** को अपराह्न 01.00 बजें तक धरोहर राशि 60000/– डिमांड ड्राफ्ट जो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर के पक्ष में देय हो के साथ जमा करानी होगी। धरोहर राशि व निविदा प्रपत्र के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
3. 100 रुपये के स्टॉम्प पर फर्म किसी राजकीय कार्यालय की काली सूची में नहीं है का शपथ पत्र देना होगा।
4. निविदा फार्म के साथ आधार कार्ड अथवा अन्य फोटो पहचान पत्र व निवास प्रमाण पत्र हेतु राजकीय प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि व पासपोर्ट आकार का फोटो स्वय हस्ताक्षरित लगाना आवश्यक है अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। तथा निविदाकर्ता द्वारा फार्म पर रखे गये श्रमिकों का आधार कार्ड कार्यालय मे जमा करवाने होंगे । निविदादाता/बोलीदाता की तरफ से काउण्टर शर्ते मान्य नहीं होगी। देरी से/फैक्स/ईमेल से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. आवेदक/निविदादाता मानसिक रूप से स्वस्थ किसी भी तरह का नशा विहीन व अच्छे चाल–चलन वाला, जिसका कोई आपराधिक रिकार्ड नही हो, होना चाहिए और आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नही होना चाहिए। निविदादाता को खेती सम्बंधित कार्य का वांछित अनुभव होना चाहिए। आवेदक को उपरोक्त घोषणाओं का शपथ पत्र और अपनी पहचान सम्बंधी वैधानिक दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
6. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता सम्पूर्ण राशि (धरोहर राशि के अलावा) कार्यालय आदेश के 05 दिवस के अंदर कार्यालय में जमा करवानी होगी।
7. बोलीदाता/निविदादाता या उसके द्वारा कार्य पर रखे गए कर्मचारियों को कृषि फार्म एवं कृषि महाविद्यालय, बीकानेर की संपति को नुकसान करने का अधिकार नहीं होगा। बोलीदाता/निविदादाता या उनके कर्मचारी किसी भी अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षर द्वारा बोलीदाता/निविदादाता द्वारा कार्यालय में जमा समस्त राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
8. बोलीदाता/निविदादाता को फोटो पहचान पत्र मय पूर्ण पते की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
9. प्रक्षेत्र का उपयोग केवल कृषि हेतु ही किया जा सकेगा एवं कृषि हेतु कृषि महाविद्यालय, बीकानेर द्वारा किसी प्रकार का आदान (खाद, बीज, कीटनाशी, कृषि यन्त्र आदि) उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा।
10. बोलीदाता/निविदादाता को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विद्युत उपभोग शुल्क जमा कराना होगा तथा सिंचाई के पम्प सेट महाविद्यालय द्वारा चालू हालत में उपलब्ध करवाएं जाएंगे जो निविदा अवधि समाप्ति पर बोलीदाता को चालू हालत में पुनः महाविद्यालय को सुपुर्द करने होंगे। निविदा अवधि में पम्प सेट के समस्त खर्चे बोलीदाता/निविदादाता को वहन करने होंगे।
11. बोलीदाता/निविदादाता द्वारा सिंचाई पानी का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही करना होगा। सिंचाई पानी के दुरुपयोग करने पर कार्यालय में जमा समस्त राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।
12. स्वीकृत निविदादाता द्वारा सिंचाई का समय (दिन/रात) नहर व पानी की उपलब्धता व वरीयता पर निर्भर करेगा। पानी की डिग्गी व पम्प हाऊस एवं मोटर पम्प व पाईप आदि को नुकसान होने पर उसकी भरपाई बोलीदाता/निविदादाता द्वारा वहन की जाएगी तथा सिंचाई हेतु स्प्रिकंलर/ड्रिप सिस्टम पद्धति ठेकेदार/निविदादाता की होगी।

13. निविदादाता अथवा उसके श्रमिकों का कृषि कार्य के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति/नुकसान के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान की भरपाई/मुआवजा महाविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।
14. कोई भी शर्तयुक्त (काउंटर कंडीशन) निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
15. निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के विवाद कि स्थिति मे न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा। निविदा को बिना कारण बताएं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा जो निविदादाता को मान्य होगा।
16. सफल निविदादाता को 500 रुपये के नॉन–जूडीशियल स्टांप पर प्रपत्र में संलग्न शपथ पत्र प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, बीकानेर के कार्यालय मे जमा करवाना होगा। इसके अभाव में निविदा अस्वीकृत कर अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
17. निविदादाता द्वारा कार्य क्षेत्र में कोई स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं किया जा सकेगा। निविदादाता फार्म क्षेत्र में कोई पशु नहीं रख सकेगा। ऐसा पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि/धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
18. फार्म में खालों की सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निवेदाता की होगी ऐसा नहीं करने पर श्रम का व्यय धरोहर राशि मे से काट लिया जायेगा।
19. निविदादाता/बोलीदाता को विष्वविद्यालय की आवष्यकतानुसार फार्म प्रभारी की देखरेख में फार्म पर बीज उत्पादन लेना आवष्यक होगा। बीज उत्पादन हेतु बुवाई के लिये बीज के बदले बीज या बीज की गुणवता अच्छी न होनें पर निविदादाता/ बोलीदाता को नियमानुसार बीज की कीमत अदा करनी होगी। बीज उत्पादन कार्यक्रम की रोगिंग अनिवार्य रूप से की जावेगी। रोगिंग में लगने वाले तकनिकी कर्मचारी व मजदूर कार्यालय के होंगे।
20. केंद्र द्वारा निर्धारित बीज उत्पादन निविदादाता/ठेकेदार को अवश्य करना होगा तथा उत्पादित बीज अपने साधन से विष्वविद्यालय के प्रोसेसिंग प्लांट, बीकानेर पर ग्रेडिंग के लिए पहुँचाना होगा। ग्रेडेड बीज के बदले कृषि उपज मण्डी, बीकानेर के जिस दिन में बीज कार्यालय मे प्राप्त हुआ है, के पूर्व के 7 दिन का औसत भाव मे उसकी 10% राशि जोड़कर या सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जो भी ज्यादा हो का भुगतान किया जायेगा।
21. बीज उत्पादन की फसलों को खरपतवार, कीट, व्याधि, पक्षियों एंव जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से सुरक्षित रखने का दायित्व निविदादाता का होगा एंव वही पूरा व्यय वहन करेगा। यदि निविदादाता समय पर उपरोक्त कारणों से फसल की सुरक्षा नहीं करता है तो कार्यालय अपने स्तर पर उक्त कार्य करवायेगा तथा इस पर हुये सम्पूर्ण व्यय को निविदादाता से वसूला जाएगा ।
22. बीज उत्पादन की फसल के पकाव उपरान्त समय पर कटाई व थ्रेसिंग निविदादाता को करवानी है जिससे बीज उत्पादन फसल की उपज में नुकसान न हो । समय पर कटाई व थ्रेसिंग न होने पर कार्यालय अपने स्तर पर उक्त कार्य करवायेगा तथा इस पर हुये सम्पूर्ण व्यय को निविदादाता से वसूला जाएगा ।
23. उत्पादित बीज निर्धारित कमेटी द्वारा बीज के रूप में उपयुक्त पाये जाने पर निविदादाता उक्त बीज कार्यालय को देने के लिए बाध्य होगा । अपने स्तर पर बीज का कमेटी की अनुशंसा बिना अन्य कही निस्तारण नहीं कर सकता ।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पता.........................

मोबाइल नं..................

शपथ पत्र

मैं...पुत्र/पत्नि श्री...निवासी.......................................
.... शपथ पूर्वक घोषणा करता /करती हूँ कि मैने निविदा में वर्णित सभी शर्तों को पढ़ लिया है और अच्छी तरह समझ लिया है। मैं उल्लेखित सभी शर्तों पर कार्य करने के लिये पूर्ण रूप से सहमत हूँ।

मै..पुत्र/पत्नि श्री.................................निवासी.. शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ व अच्छे चाल–चलन वाला हूँ मेरा कोई आपराधिक रिकार्ड नही है और ना ही मैं किसी भी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित हुआ हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम ....

पता..........................

मोबाइल नं..................